राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602 Toll Free HelpLine- 5100/9928900900)
E-mail: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, Website: www.rlsa.rajasthan.gov.in

क्रमांकः—एफ 09 / रालसा / स्टोर / 2024—25 / 22958 दिनांकः— 20/12/24

कोटेशन के लिए अनुरोध—12

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा राज्य में कार्यरत अधिकार मित्रों (पैरा लीगल वॉलियन्टीयर्स) हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार विशेष बैज बनवाये जाने हेतु इस क्षेत्र में कार्यरत अधिकृत / रजिस्टर्ड फर्मों / संवेदकों / दुकानदारों से निम्नानुसार कोटेशन बंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है:—

क्र. स.	सामग्री का नाम	विवरण	मात्रा	अनुमानित व्यय राशि रु. (सभी कर सहित)
1.	Badge with Logo	Round Plastic Badge Size 2.25 Multicolour with Logo	1500	30000/-

कोटेशन दिनांक 23.12.2024 को दोपहर 11.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी, इसके पश्चात् प्राप्त कोटेशनों पर विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित समय तक प्राप्त कोटेशनों को उसी तिथि को दोपहर 12:00 बजे अद्योहस्तांक्षरकर्ता के कार्यालय चैम्बर में विभागीय उपापन समिति एवं उपस्थित कोटेशनदाताओं के समक्ष खोली जावेंगी।

कोटेशन की शर्तेः—

1. कोटेशन दाताओं को इन शर्तों को सवाधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी कोटेशन भेजते समय इनका पूर्णरूपेण ध्यान रखते हुए प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।
2. कोटेशन बंद लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।
3. सामग्री के सेम्पल कार्यालय समय में प्रेषित करने के बाद Approve कराने होंगे।
4. सामग्री उच्च क्वालिटी की एवं Specification के अनुसार ही होनी चाहिए।
5. सामग्री की संख्या कम / ज्यादा करने का अधिकार विभाग को होगा।
6. सामग्री सप्लाई संतोषप्रद होने के उपरान्त ही भुगतान देय होगा।
7. कोटेशन में प्रेषित दरों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का टैक्स देय हो तो कोटेशन में अलग से अंकित करें।
8. कोटेशन प्रपत्र के साथ जी.एस.टी पंजीयन प्रमाण—पत्र यदि लागू हो तो संलग्न होना चाहिए।
9. सामग्री निर्देशानुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर में कार्यादेश जारी होने के 5 कार्य दिवस में सप्लाई करनी होगी।
10. कोटेशन की दरें शब्दों एवं अंकों, दोनों में बिना कांट—छांट स्पष्ट रूप में अंकित होनी चाहिए। शब्दो एवं अंको में राशि में अंतर होने पर शब्दों में अंकित राशि सही मानी जावेगी।
11. विभाग के अलावा अन्य कोई भी शर्तें स्वीकार नही होंगी।
12. विभाग को बिना कारण बताये कोटेशन के लिए अनुरोध किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार होगा।
13. आयकर व जी.एस.टी. यदि लागू होगा तो नियमानुसार बिल में से कटौती की जावेगी।
14. किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
15. उक्त शर्तों के अतिरिक्त RTPP नियम 2013 की शर्तें भी लागू होगी।

निदेशक
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

क्रमांकः—एफ 09 / रालसा / स्टोर / 2024—25 / 22959-962 दिनांकः— 20/12/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
2. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाइट।
3. संबंधित पत्रावली।
4. मैसर्स.. ।

उप सचिव—प्रथम (स्टोर प्रभारी)
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।